राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/ 33201 जयपुर, दिनांकः 07/9/17

आदेश

नगर निगम जयपुर के पत्र दिनांक 11.08.17 द्वारा यह अवगत कराया है कि जेडीए ने पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन–09/17/डी–3347 दिनांक 23.06.17 द्वारा गैर मुमकिन आबादी भूमि जो जेडीए के नाम दर्ज है के संबंध में अनापत्ति नगर निगम को जारी की है। इस अनापत्ति पत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज बंजर एवं गैर मुमकिन भूमि के बारे में अनापत्ति नहीं दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन में भी कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि मानसरोवर जोन में ग्राम गोपालपुरा, मानसिंहपुरा, दुर्गापुरा क्षेत्र की जमाबंदी में दर्ज बंजर व गैर मुमकिन भूमि (गैर मुमकिन आबादी नहीं है।) दर्ज है व खातेदारी जेडीए के नाम दर्ज है। जहां सघन आबादी है जिसमें स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे हेतु पत्रावलिया प्राप्त हुई है। बंजर व गैर मुमकिन भूमि (गैर मुमकिन आबादी के अलावा) के नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट पट्टे जारी करने के बारे में मार्गदर्शन चाहा है।

इस संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक एफ.7(ड)भूमि/अभि–12/डीएलबी/13/ 2885 दिनांक 25.02.13 के बिन्दु संख्या 6 में निम्न प्रावधान किया गया हैः–

स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत जारी पट्टे के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध मेंः– स्टेटग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक ओई/एफ.19(Compaign)डीएलबी/83/5783 दिनांक 15.09.83 की शर्त संख्या 1 के बिन्दु संख्या 1 में निम्न प्रावधान हैः–

"Such patta be issued by the municipal authority in case of Nazul (Abadi) Land and not in case of agricultural land or any other kind of land."

नजूल भूमि के उल्लेख के कारण नगर निकायों में भ्रान्ति है कि नजूल भूमि के अलावा अन्य सरकारी भूमियों पर स्टेटग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे देय नहीं है। इन्ही नियमो के खण्ड–1 के आदेश की शर्त संख्या 2 में अधिकतम 300 वर्गमीटर तक के पट्टे देने का उल्लेख है जबकि 4 दशको से भी अधिक पुरानी इमारतो का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये जा रहे है। पट्टे जारी करने में नगर निकायो के सम्मुख कठिनाई आ रही है।

राजस्थान गवरमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1961 में ऊपर उल्लेखित दोनो प्रकार की शर्तो के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

अतः विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेश दिनांक 15.09.83 की शर्त संख्या 1 को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न शब्दावली प्रतिस्थापित की गई हैः–

"Patta shall be issued by the Municipal Authority in case of any kind of Municipal or Government land within peripheral belt, subject to the restricted land as shown under rule 3(I) clause (i) to (xiv) of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 in section 90-A."

ऐसी भूमियां जो प्रारम्भ से ही नजूल (आबादी) भूमियां है उन पर वर्तमान में पट्टे दिये जा रहे है, इसके अतिरिक्त भूमियां जो आबदी प्रयोजनार्थ नगरीय निकायो को हस्तान्तरित हो चुकी है उन पर बने आवासो के पट्टे भी स्टेट ग्रान्ट

एक्ट के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानो के अनुरूप होने पर दिये जावे। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 15.09.83 की शर्त संख्या 2 में वर्णित क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर की सीमा दिनांक 01.01.1950 से पूर्व ऐसी भूमियों पर बने आवासो के नियमन हेतु नहीं रहेगी।

विभागीय आदेश दिनांक 17.05.17 द्वारा बिन्दु संख्या 1 में स्टैट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे अन्य राजकीय भूमि पर नहीं दिये जाने के निर्देश दिये गये है। जबकि परिपत्र दिनांक 15.09.83 की शर्त संख्या 1 को संशोधित किया जा चुका है। इस दृष्टि से उक्त विभागीय आदेश दिनांक 17.05.17 के बिन्दु संख्या 1 के 1:1 को प्रत्याहारित किया जाता है।

जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित कॉलोनियो में स्थित गैर मुमकिन तथा बंजर भूमि जो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, उनमें भी नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे दिये जा सकते है।

उपरोक्त विभागीय आदेश दिनांक 25.02.13 के बिन्दु संख्या 6 द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 15.09.83 की शर्त संख्या 1 में संशोधन किया गया है। बंजर व गैर मुमकिन भूमि उक्त संशोधन अनुसार राजकीय भूमि होने से स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टा दिये जाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जा सकती है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित कॉलोनियो में स्थित गैर मुमकिन तथा बंजर भूमि जो जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, नजूल भूमि होने के कारण ऐसी भूमि जो सघन आबादी में है पर भी नगर निगम द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे दिये जा सकते है। नजूल भूमि की परिभाषा में आने वाली भूमि पर इस विभाग के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 25.02.2013 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार पट्टे स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत दिये जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/33202–33596 दिनांकः 07/9/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
04. सचिव, जयपुर विकस प्राधिकरण, जयपुर।
05. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
06. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
07. प्रोग्रामर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी